

FORM-I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16- 5982

Dated 08/09/2022



TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05th February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.90 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **H.P.P.W.D. for Construction of link road Bholi to Lower Bholi Gassour** which falls in jurisdiction of **Village Gassour, Batohli & Bholi Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.90 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

Pankaj Rai (I.A.S.)

Deputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.

dated 08/09/2022

Endst No- as above- 5982

Copy to the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division No.2 Bilaspur for further necessary action.

Deputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.



Office of the Deputy Commissioner
District Bilaspur (Himachal Pradesh)

FRA Certificate (Under FRA 2006) to be issued By District Level Committee.

Proceedings of the meeting of District Level Committee constituted under Scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Bilaspur constituted under FRA 2006 was held under the Chairmanship of Sh. Pankaj Rai, I.A.S., Deputy Commissioner, Bilaspur on 28-01-2022 at 10-30 A.M. at Bilaspur in which the following applications were discussed and except Sr. No. 3 & 4 remaining were approved in view of recommendations made by the Sub Divisional Level Committees of Sub Division Sadar, Shri Naina Devi Ji, Ghumarwin & Jhandutta District Bilaspur, H.P. It was further decided that roads referred at Sr. No. 3 & 4 reexamined in terms of width of road.

Sr.No.	Total Land	Purpose.
1.	1.90 hectare	Construction of link road Bholi to Lower Bholi Gassour.
2.	1.83 hectare	Construction of link road Bungar-Gehra-Dabar to Rani Kotla.
3.	3.2862 hectare	Construction of link road Kutehla Kiyarin Bagchhal road to Village Sunhan Km. 0/00 to 3/315
4.	5-91-15 hectares	Construction of link road Pangpoura to Oel via Dakshani Kalri Km. 0/0 to 9/075
5.	00-93-68 hectare	Construction of Mini Secretariat at Swarghat.
6.	0.52 hectare	Construction of Joint Office Building of Sub Tehsi Bharari.
7.	6-12-55 hectares	Construction of Cow Sanctuary Jangla.

1. (Muskan),
Zila Parishad. (Member)

3. (Madan Kumar)
Zila Parishad. (Member)

(Torul S-Raveesh) I.A.S.

5. Additional Deputy Commissioner,
Bilaspur, H.P. (Member Secretary)

2. (Prem Singh),
Zila Parishad. (Member)

4. (Awani Bhushan Rai) I.F.S.
Divisional Forest Officer
Distt. Bilaspur (H.P.)
(Member)

6. (Pankaj Rai), I.A.S.
Deputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.
(Chairman)

Proceeding of the meeting of Sub-Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Divisional level Committee of **Bilaspur** Sub-Division, constituted under FRA, 2006 held under the Chairpersonship of Sh. Rameshwar SDO (Civil), **Bilaspur** on dated 21-06-2021 at 11.00 AM at **Bilaspur** (Place) in which the application (s) of the applicant Executive Engineer Bilaspur Division No-II HPPWD Bilaspur claiming rights in land measuring 1.90 hectare situated in village Gassour Tehsil Sadar Distt. Bilaspur H.P. for the construction of the Link Road Bholi to Lower Bholi Gassour Tehsil Sadar Distt. Bilaspur under FRA, 2006, duly processed & recommended by the Forest right Committee Gassour was discussed to consider the same for the recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the claim of the following applicants were found to be in order and recommended for admission to the District Level Committee.

Sr. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Rights
1.	Executive Engineer Bilaspur Division No-II HPPWD Bilaspur	Gassour, Batoli & Bholi	--

OR

Claim of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right

As informed by Executive Engineer Bilaspur Division No-II HPPWD Bilaspur and the Tehsilar cum member secretary no application was received claiming rights in 1.90 hectare forest area.

Place: **Bilaspur**
Date: **21-06-2021**


SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson,
Sub-Divisional Level Committee,
Bilaspur, Sub-Di

Proceeding of the meeting of Sub-Division Level Committee of Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 held on 21-06-2021 at Bilaspur under the Chairmanship of Sub-Division Magistrate, Bilaspur , (HP) regarding consideration and issuing FRA certificate for :-

Diversion of forest land measuring 1.90 hectare for the construction of the Link Road Bholi to Lower Bholi Gassour Tehsil Sadar Distt. Bilaspur (HP).

The following officers/members were present in the meeting:-

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Sh. Rameshwer Dass
Sub-Divisional Magistrate, Bilaspur | Chairman |
| 2. | Sh. Hari Singh , Tehsildar, Bilaspur | Member Secretary |
| 3. | Sh. Ajay Kumar J.E., HPPWD Div. No.2 ,
Bilaspur | Member |
| 4. | Smt. Seeta Devi , BDC Member | Member |
| 5. | Smt. Sapna Devi, BDC Member | Member |
| 6. | Smt. Sapna Devi, BDC Member | Member |
| 7. | Sh. Ashish, RO. | Member |

At the outset, the Chairman welcomed all the participants in the meeting. The Sub-Division Level Forest right Committee was apprised that case under scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 have been received from the Forest Right Committees Gassour. The detail of the case as enlisted above is as follow:-

The report regarding diversion of forest land measuring 1.90 Hectare for construction of the Link Road Bholi to Lower Bholi Gassour Tehsil Sadar Distt. Bilaspur has been received alongwith proceedings of the Forest Right Committee Bholi, Gassour & Batoli Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur (HP).

The case contained all the requisite certificates and proceedings, hence the committee recommended the said case for admission to District Level Committee.

The meeting ended with the vote of thanks to the Chair and members.


Sub-Division Magistrate-cum-Chairman,
Sub-Division Level Committee,
Sub-Division, Bilaspur, (HP).

अनापात प्रमाणपत्र

(प्रस्ताव नं० १)

आज दिनांक ६-३-२०१९ को वन आधिकार समिति
गौली की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया
कि "लूक रोड गौली से निचली गौली रोड" सड़क निर्माण
का कांटा गौली वृक्षों पर हिमाचल लोक निर्माण विभाग
द्वारा सड़क बनाने हेतु कोई आपत्ती नहीं है। क्योंकि
यह जनाहत के लिए है। यह अनुमति वन आधिकारों
की मान्यता के अन्तर्गत आप्त नियम २००६ के अन्तर्गत
सम्मानित आधिकारों को अगामी स्तर पर ही
प्राप्त की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित
किया गया तथा उत्तराधिकार के अनुरूप है।

Ramnabeni
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
गौली

बैठक कार्यवाही ग्राम सभा गसांड
 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
 अधिनियम, 2006.

वन अधिकार समिति
 ग्राम सभा गसांड

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 3

दिनांक 8-3-2019

ग्राम सभा गसांड की बैठक आज
 दिनांक 8-3-2019 को 3.00 बजे स्थान गसांड में
 श्री/श्रीमति नरैण सिंह की अध्यक्षता में की गई जिसमें
गसांड गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
 मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत माडा गसांड जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें
लिंक रोड मौली से लिचली मौली गसांड)

के निर्माण के लिए 0.156 हेक्टेयर वन भूमि के
 उपयोग की मंजूरी प्रदत्त है। 1) बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रमांक	पात्र निवासी का नाम	गांव का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1.	<u>सुचि संलग्न है।</u>		
2.			
3.			
4.			

बैठक में वन अधिकार समिति गसांड द्वारा
सड़क निर्माण (उद्देश्य) के लिए हिड्डोली निर्माण (विभाग) के पक्ष में
 दिये गये अनापूर्ति प्रमाण पत्र के ऊपर विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव
 पारित किया गया कि राजस्व गांव गसांड में भूमि खसरा नम्बर
143/76 रकबा 0.156 हेक्टेयर को सड़क निर्माण (उद्देश्य) के
 लिए हस्तांतरण करने पर इस ग्राम सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि उक्त गांव में अनुसूचित
 जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत
 कोई मांगता लम्बित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अनापूर्ति प्रमाण पत्र जारी करती है।

दिनांक गसांड
8-3-2019

प्रमाणित
 ग्राम पंचायत

मुख्यालय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति ५

ग्राम सभा गसाई

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

ग्राम सभा

गसाई

दिनांक 8-3-2019

की बैठक आज दिनांक 8-3-2019 को

3:40 बजे

स्थान

गसाई

में श्री/श्रीमति

नरेश सिंह

की अध्यक्षता में की गई जिसमें

गसाई

गसाई

गसाई

सर्वे के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल/ वन क्षेत्र में (उद्देश्य)

विंकरोई मोली सिन्धिली मोली गसाई

गसाई

0-156

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र. सं.	पात्र गांव वासी का नाम	जन्म का नाम	वन अधिकार का प्रकार
		NIL	

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र. सं.	पात्र गांव वासी का नाम
	NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार

गसाई गसाई

जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा

प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

गसाई

दिनांक

8-3-2019

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

गसाई

गसाई

गसाई

गसाई

वन अधिकार समिति

गसाई

बैठक कार्यवाही वन अधिकार समिति माडा गाँव ग्राम माडा
तहसील मदर जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ।

आज दिनांक 8-3-2019 को वन अधिकार समिति ग्राम माडा
की बैठक अध्यक्ष श्री / श्रीमति नरेश सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई
जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे:-

क्रमांक	नाम व पिता/पति	पद नाम	ग्राम	जाति	हस्ताक्षर
99	कान नाम				
1.	नरेश सिंह/पुनीराज	अध्यक्ष	माडा	S/C	N. Singh
2.	रामपाल शंकर/गुलाब	सचिव	माडा	NSC	Ram Pal
3.	सीताराम शंकर/नरेश	सदस्य	माडा	S/C	Sitaram
4.	जगदीश/पुनीराज	सदस्य	माडा	S/C	Jagdish
5.	सुरेश कुमार/पुनीराज	सदस्य	माडा	NSC	Suresh
6.	सुभाष/गुलाब	सदस्य	माडा	NSC	Subhash
7.	सुरेश/गुलाब	सदस्य	माडा	NSC	Suresh
8.	सीताराम शंकर/पुनीराज	सदस्य	माडा	NSC	Sitaram
9.	अमित कुमार/पुनीराज	सदस्य	माडा	NSC	Amit
10.	प्रमोद शंकर/गुलाब	सदस्य	माडा	NSC	Prasad

वन अधिकार समिति ने राजस्व विभाग के पटवारी/कानूनगो श्री मनु देवी

तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री मनीष चन्देल के साथ भूमि खसरा नम्बर

143/76

खसरा 2-19 बीघा व (0.156) हेक्टर के सन्दर्भ में

सड़क निर्माण

(सददेश्य) के लिए अनापति प्रमाण पत्र (विभाग का नाम)

हि0प्र0 ला0 निर्माण विभाग

आला है का मौका पर निरीक्षण व्यवितगत तौर पर किया व
अन्य छानबीन निम्न प्रकार से की गई:-

1. उक्त भूमि का नक्शा / तृतीया पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के समक्ष बनाया ।
2. उक्त भूमि पर समिति ने गांववासियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावे मांगे तथा किसी प्रकार का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ ।
3. उक्त भूमि पर सददी गुप्जर या अन्य घुमन्तु समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के समक्ष पेश ना हुआ तथा समिति मानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (सददेश्य) सड़क निर्माण हेतु

समझने उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम माडा गाँव के अंतर्गत

उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

विनोद मोदी/सचिव/माडा के निर्माण के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि की

अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है । यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है । प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है ।

N. Singh

रामपाल

M. Singh

प्रधान, अध्यक्ष
वन अधिकार समिति

सचिव,
वन अधिकार समिति

पटवारी,
पटवार वृत्त

वन रक्षक
वृत्त

माडा

Shamir F.K

Chandel
31/3/19
Jc Maekand-
Kiran chandel.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

प्रस्ताव संख्या

4

ग्राम सभा

गसाई

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक

8-3-2019

ग्राम सभा

गसाई

की

हैतक

4 भाग

दिनांक

8-3-2019

को

8-3-19

बजे, स्थान

गसाई

में

श्री / श्रीमती

नरेश तिवारी

की अध्यक्षता में की गई जिसमें

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

मोडा गसाई

जंगल वन क्षेत्र

में

(जिसमें

105000 वर्ग मीटर)

विभाग

द्वारा

के निर्माण के लिए

0.156

हैक्टेयर वन भूमि

के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार

समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन

अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त

इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1			
2			

NIL

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1	
2	

NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

गसाई

दिनांक

8-3-2019

अधिकृत हस्ताक्षर करता

ग्राम सभा

वन अधिकार समिति

गसाई

- ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

प्रस्ताव

आज दिनांक 8-3-2019 को वन अधिकार समिति
मोमगासाई गांव पंचायत जखवाला विचार रखते
सदर विचारपर (डिप्टी) की बैठक आयोजित की
नरेश सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक
में "लैंड रोड मोली से गिचली मोली गासाई"
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क
निर्माण हेतु मौजा मसाई वन भूमि को वन अधिकार
समिति द्वारा अनामत प्रमाण पत्र जारी किया
गया। बैठक में निर्णय लिया कि समिति सदस्यों
और गांव वासियों ने भूमि लिखा।

क्रम	नाम	पिता/पति का नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	नरेश सिंह	श्रीमान राम	अध्यक्ष	Narain Singh
2.	रामपाल	श्रीमान गोप	सचिव	रामपाल
3.	सुरेश बेगम	श्रीमान सली	सदस्य	सुरेश बेगम
4.	सलीमाबानो	श्रीमान रफीक	सदस्य	सलीमा बानो
5.	सुरेन्द्र कौर	श्रीमान सखदेव	सदस्य	Surender
6.	सौरा शर्मा	श्रीमान सलीसुमार	सदस्य	Sham
7.	आनंदकुमार	श्रीमान सुखराज	सदस्य	Anand
8.	प्रमलाल	श्रीमान बरार गुप्त	सदस्य	Prm Lal
9.	लाला देवी	श्रीमान नवायज सिंह	गांववासी	लाला देवी
10.	सतीश कुमार	श्रीमान अमर नोथ	"	Satish
11.	गोपाल दाल	श्रीमान लाला नारायण	"	Gopal
12.	राजेश शर्मा	श्रीमान लाला राम	"	Rajesh
13.	पवन कुमार	श्रीमान लाला राम	"	Pavan
14.	सुरेश शर्मा	श्रीमान लाला राम	"	Suresh
15.	रिक्किन शर्मा	श्रीमान लाला राम	"	Rikkin
16.	सुशीला	श्रीमान सुरेश शर्मा	"	Sushila

- 17) सुन्दरा वीवी 10/0 मस्ताली " सुधरावीवी
- 18) मस्ताली 5/0 समल वीवी
- 19) सुनील वीवी 5/0 मस्ताली " सुनील वीवी
- 20) सुनील वीवी 5/0 मस्ताली " सुनील वीवी
- 21) सुनील वीवी 5/0 लेख वीवी " सुनील वीवी
- 22) सुनील वीवी 5/0 गोर वीवी " सुनील वीवी
- 23) सुनील वीवी 5/0 पदम वीवी " सुनील वीवी
- 24) सुनील वीवी 5/0 सुनील वीवी " सुनील वीवी
- 25) सुनील वीवी 5/0 सुनील वीवी " सुनील वीवी
- 26) सुनील वीवी 5/0 सुनील वीवी " सुनील वीवी
- 27) सुनील वीवी 5/0 सुनील वीवी " सुनील वीवी
- 28) सुनील वीवी 5/0 सुनील वीवी " सुनील वीवी
- 29) सुनील वीवी 5/0 सुनील वीवी " सुनील वीवी
- 30) सुनील वीवी 5/0 सुनील वीवी " सुनील वीवी
- 31) सुनील वीवी 5/0 सुनील वीवी " सुनील वीवी
- 32) सुनील वीवी 5/0 सुनील वीवी " सुनील वीवी
- 33) सुनील वीवी 5/0 सुनील वीवी " सुनील वीवी
- 34) सुनील वीवी 5/0 सुनील वीवी " सुनील वीवी

अनादान प्रमाण पत्र (प्रस्ताव नं०-1)

आज दिनांक 8-3-2019 को वन अधिकार समिति
गसाई की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय
लिमा गया कि 66 लिंक रोड मोली से गिचली
मोली गसाई का जो जो गसाई वन शुम पर
दिमाचल लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाने हेतु
कोई आपत्त नहीं है। यह अनहित के लिए है।
यह अनमत वन अधिकारों की मान्यता के
आधिनियम 2006 के अनुरात सम्बोधित
अधिकारियों को आगामी कारवाई हेतु प्रेषित
की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित
किमा गया। तथा उक्त पत्र के अनुकूल
है।

Neem Singh राठवाल

अध्यक्ष सचिव
वन अधिकार समिति

.....
गसाई

बैठक कार्यवाही ग्राम सभा बटोहली
 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
 अधिनियम, 2006.

वन अधिकार समिति
 ग्राम सभा बटोहली

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या **3**

दिनांक **8-3-2019**

ग्राम सभा बटोहली की बैठक आज
 दिनांक **8-3-2019** को **12.00** बजे, स्थान बटोहली में
 श्री/श्रीमति बाबू राम की अध्यक्षता में की गई जिसमें
बटोहली गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
 मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मौजा बटोहली जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें
लिंक रोड गोल) से निचली गोल गसाई)

के निर्माण के लिए **0.216** हैक्टेयर वन भूमि के
 उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रमांक	पात्र गांववासी का नाम	गांव का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	<u>सुधी संलग्न है।</u>	<u>बटोहली</u>	
2.			
3.			
4.			

बैठक में वन अधिकार समिति बटोहली द्वारा
सड़क निर्माण (उद्देश्य) के लिए हिडप्लान निर्माण (विभाग) के पक्ष में
 दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को ऊपर विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव
 पारित किया गया कि राजस्व गांव बटोहली में भूमि खसरा नम्बर **116, 121, 122,**
190/133/82 रकबा **0.216** हैक्टेयर को सड़क निर्माण (उद्देश्य) के
 लिए हस्तान्तरण करने पर इस ग्राम सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि सबत गांव में अनुसूचित
 जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत
 कोई मामला लुपित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है।

स्थान बटोहली
 दिनांक **8/3/2019**

ग्राम सभा अध्यक्ष बाबू राम
 सदस्य ...

ग्राम सभा सदस्य ...

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

ग्राम सभा

दिनांक 8-3-2019

ग्राम सभा वरौहली

की बैठक आज दिनांक

8-3-2019 को

12:10 बजे

स्थान

वरौहली

मे श्री/श्रीमति

बाबू राम

की अध्यक्षता में की गई जिसमें

माडा वरौहली

गोबि के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल/ वन क्षेत्र में (उद्देश्य)

बिलरौहली से गिरली गली गलौह

के निर्माण के लिए

0.216

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गोबि वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र. सं.	पात्र गोबि वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का आधार
		NIL	

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र. सं.	पात्र गोबि वासी का नाम
	NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार

99

माडा वरौहली

जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा

स्थान

वरौहली

अधिकृत हस्ताक्षर

सचिव

दिनांक

8/3/2019

ग्राम सभा

वन अधिकार समिति

वरौहली

बैठक कार्यवाही वन अधिकार समिति बरोहली ग्राम बरोहली
तहसील सदर जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ।

आज दिनांक 8-3-2019 को वन अधिकार समिति ग्राम बरोहली
की बैठक अध्यक्ष श्री / श्रीमति बाबू राम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई
जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे:-

क्रमांक	नाम व पिता/पति का नाम	पद नाम	ग्राम	जाति	हस्ताक्षर
1.	बाबू राम शंकरलाल	अध्यक्ष	बरोहली	NSC	Baburam
2.	महेश्वर शंकरलाल	सचिव	बरोहली	NSC	Maheshwar
3.	राजेंद्र शंकरलाल	सदस्य	बरोहली	NSC	Rajendra
4.	खेमराज शंकरलाल	सदस्य	बरोहली	NSC	Khemraj
5.	प्रकाश शंकरलाल	सदस्य	बरोहली	NSC	Prakash
6.	अनन्तराम शंकरलाल	सदस्य	बरोहली	NSC	Anantaram
7.	सुरेश्वर शंकरलाल	सदस्य	बरोहली	NSC	Sureshwar
8.	शंकरलाल शंकरलाल	सदस्य	बरोहली	NSC	Shankarlal
9.	माला देवी शंकरलाल	सदस्य	बरोहली	S/C	Maladevi
10.	माला देवी शंकरलाल	सदस्य	बरोहली	S/C	Maladevi

R.H.T.
of
Kali
Dev

वन अधिकार समिति ने राजस्व विभाग के पटवारी/कानूनीगो श्री मंजु देवी
तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री मती पिपरन चन्देल के साथ भूमि खसरा नम्बर 116, 121, 122,
190/133/82 रक्बा 2.14 बीघा (0.216 हे०) जिसके सन्दर्भ में

सदन निर्माण (उद्देश्य) के लिए अनापति प्रमाण पत्र (विभाग का नाम)
हिन्दू लोग नि० वि० वि० ने धावा है का मौका पर निरीक्षण व्यक्तित्व तौर पर किया व
अन्य छानबीन निम्न प्रकार से की गई:-

1. उक्त भूमि का नक्शा / तत्तीमा पटवारी तथा वन रक्षक ने समक्ष बनाया ।
2. उक्त भूमि पर समिति ने माववतियायों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावे मांगे
तथा किसी प्रकार का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ ।
3. उक्त भूमि पर गद्दी गुज्जर या अन्य घुमन्तु समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के
समक्ष पेश ना हुआ तथा समिति मानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि
पर नहीं है ।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (उद्देश्य) सदन निर्माण हेतु
समझने उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम मोहना बरोहली के अंतर्गत
उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।
हिन्दू लोग नि० वि० वि० निर्माण के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि की
अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है । यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता
अधिनियम 2006 के अंतर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की
जाती है । प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है । प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप
कार्यवाही के अनुरूप है ।

Baburam
प्रधान,
वन अधिकार समिति

Maheshwar
सचिव,
वन अधिकार समिति

Anantaram
पटवारी,
पटवार वृत्त

Shankarlal
वन रक्षक
वृत्त

बरोहली

Shankar F.K
बरोहली

Anand
8/3/19
Kiran Chandel
HC Meerkand

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

Annexure II

प्रस्ताव संख्या

4

ग्राम सभा

बरोहली

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक

8-3-2019

ग्राम सभा

बरोहली

8-3-2019 को

श्री

श्रीमती

बाबू राम

की

बैठक

आज

दिनांक

बरोहली

में

की अध्यक्षता में की गई जिसमें

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल/वन क्षेत्र

में

(जिसमें

है)

मोडा बरोहली

विभाग

द्वारा

लिफ्ट/रोड

मोडा बरोहली

मोडा बरोहली

मोडा बरोहली

के निर्माण के लिए

0.216

हैक्टर वन भूमि

के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की शिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर बर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का प्रकार
1			
2			

NIL

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को मरित करते हुए इसे उप-खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1	
2	

NIL

तदनुसार 'ग्राम सभा' इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार या मोडा बरोहली जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

बरोहली

दिनांक

8/3/2019

अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

ग्राम सभा

Baburam

अध्यक्ष

सचिव

Mas/Ram

वन अधिकार समिति

बरोहली

- ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- पात्रों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रस्ताव

आज्ञा दिनांक 8-3-2019 को वन अधिकार समिति ग्राम बंटीहली ग्राम पंचायत जुखाला विवास खण्ड सदर जिला विलासपुर (हि.प्र.) की बैठक अध्यक्ष श्री बाबू राम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में पंचायत मुख्यालय से गिचली गेली गाँव में हिमाचल लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु मौजा बंटीहली वन ग्राम को वन अधिकार समिति द्वारा अनापस पूजापत्र जारी किया गया। बैठक में श्रीमन्माल रिवर्स समिति सदस्यों व ग्राम वालियों ने भाग लिया।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति/प्राणनाम	पद	हस्ताक्षर
1.	बाबू राम	श्री 0 लालाराम	अध्यक्ष	Baburam
2.	मन्तराम	श्री 0 कासूराम	सचिव	Mantra Ram
3.	राजीव कुमार	श्री 0 धनीराम	सदस्य	Rajeev kumar
4.	बोरा राम	श्री 0 सन्त राम	सदस्य	Chhotaram
5.	पुमलाल	श्री 0 आमदू राम	सदस्य	पुम लाल
6.	अनन्तराम	श्री 0 चुल्हा राम	सदस्य	Anant Ram
7.	सुखराम	श्री 0 काहना राम	सदस्य	Sukha Ram
8.	कृष्ण लाल	श्री 0 सुन्दराम	सदस्य	Krishna Lal
9.	बालादेवी	श्री 0 लक्ष्मी	सदस्य	R.H.T. of Kalki Devi
10.	बमलादेवी	श्री 0 राजपाल	सदस्य	कमला
11.	मिर्छू राम	श्री 0 प्रेमस राम	ग्रामवासी	मिर्छू राम
12.	राम लाल	श्री 0 पुरन	"	राम लाल
13.	राम सिंह	श्री 0 धनी राम	"	Ram Singh
14.	पवन कुमार	श्री 0 पुम लाल		Pawan kumar
15.	काशर सिंह	श्री 0 सिद्धिनाथ		काशर सिंह
16.	पामीतजन	श्री 0 सनम		R.H.T. of Pamiatjan

17) रवीलाल S/O लिक्ष्मी लाल

18) लिक्ष्मी लाल S/O प्रमोद लाल

19) सुजलाल S/O इरीमन

20) मीरा देवी W/O लक्ष्मी राम

21) जयपाल S/O इरीमन

22) रामदेई W/O इरीमन

मेहरा देवी
Mehera Devi

RHT of
M. L. Ram
Dei

RHT of
R. H. of
Remdai
R. H. of

23) कालिदास लुकाव S/O प्रेम लाल

24) दिनेश्वरी W/O सुखराम दिनेश्वरी

25) रंजना W/O रंजित

रंजना

26) सुन्दर सिंह S/O लक्ष्मी राम

S. H. of

27) मीरा लाल W/O सुन्दर सिंह

M. L. Ram
M. L. Ram

28) जोषा राम S/O मोहन राम

29) राजेश्वरी राजेश्वरी लुकाव S/O जोषा राम

राजेश्वरी लुकाव

30) राम लक्ष्मी W/O राजेश्वरी लुकाव

राम लक्ष्मी

31) रमेश S/O मोहन राम

Ramesh Lal

32) सुभा लुकाव S/O सुन्दर राम

सुभा लाल

33) विमला देवी W/O विमला राम

RHT of
B. M. L. Devi

34) राजू S/O मोहन राम

राजू

35) लक्ष्मी राम S/O सुन्दर राम

लक्ष्मी राम

36) सुखराम S/O लक्ष्मी राम

सुखराम

37) राजेश लुकाव S/O लक्ष्मी राम

Rajesh

अमापात प्रमाण पत्र (प्रस्ताव नं०-1)

आज दिनांक 8-3-2019 को वन अधिकार
समिति बरोहली की बैठक में सर्वसम्मति से यह
निर्णय लिया गया कि 66 लिंक रोड मौली से
गिचली मौली गार्ड को मौला बरोहली वन
ग्राम पर हिमचल लोक निर्माण विभाग द्वारा
बनाया हुआ है आपात नदी है। क्योंकि यह
जगह के लिए है। यह अनुमत वन अधिकार
- कारों की मान्यता के अधिकार 2006 के
अन्तर्गत सम्बाधित अधिकारों को अमापी
कारवाई हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व-
- सम्मत से पारित किया गया तथा उक्त
प्रारूप को अनुमति है।

Baburina / mas / for

अध्यक्ष सचिव
वन अधिकार समिति
बरोहली

नकल प्रस्ताव 8



आज दिनांक 15-08-2017 को ग्राम पंचायत सुरवाला विकास
खण्ड सुरवाला जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की बैठक प्रधान/ उप-प्रधान/ पंच
श्री जी की अध्यक्षता में होकर निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई उपस्थिति 19/7/2017

विषय :- प्रधान अन्नी सक्क जीवनी के अन्तर्गत निं 4/R जोली से निचली जोली वसोड तक अनापति उखाव पत्रवारी
श्री ... ने प्रस्ताव पेश किया अध्यक्ष महोदय ने अनुमोदन किया कि

डा० का गुप्त सक्क के प्रस्ताव सर्व सम्मति से पेश किया गया कि गुप्त पंचायत सुरवाला में निं 4/R जोली से निचली जोली वसोड तक पक्की सड़क बनवाई जाए। अगर इस सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता है तो गुप्त पंचायत सुरवाला को कोई क्षति नहीं है।

सर्व सम्मति से विचार विमर्श उपरान्त पारित हुआ कि प्रतिलिपि प्रस्ताव सेवा में
मोडल-2 लोक निर्माण विभाग सुरवाला सड़क विभाग
जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश प्रस्तुत करके प्रार्थना की जावे कि इस प्रस्ताव पर अमल करके की गई कार्यवाही से यथा शीघ्र पंचायत को अवगत करने की कृपा करें।
प्रमाणित किया जाता है कि नकल मुताबिक असल है और जिस लेख की यह प्रतिलिपि है वह पंचायत अभिलेख में विद्यमान है।

सुरवाला
सचिव

